

प्रेषक,

पवन कुमार राय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय संख्या-1, बागपत।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
बागपत।

विषय:- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28
जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 22.02.2008 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-418/दो-4-06-32 (1)/2001) से हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं०-521/JR(S)/2008 दिनांकित 10.07.2008 के अनुक्रम में दिनांक 14.07.2008 को जनपद बलिया में अतिरिक्त सिविल जज (जू0डि0) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003, दिनांकित 15 नवम्बर 2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से अछादित होने का पात्र है।


प्रार्थी, शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक-29.07.2024

भवदीय,



(पवन कुमार राय)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं०-1 बागपत।

संलग्नक:-

1. पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

कार्यालय: जनपद न्यायाधीश बागपत
पत्रांक-1751/24 दिनांक-29-07-24

अग्रसारित

जनपद-न्यायाधीश

बागपत 29/07/24

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 11 जुलाई 2024 का
संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम- पवन कुमार राय,
2. वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
संख्या-1, बागपत।
3. वेतनमान- जे 5-144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग
का नाम- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15 नवम्बर 2003(विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 22.02.2008(उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4)
संख्या-418/दो-4-08-32(1)/2001 टी0सी0-1
8. योगदान की तिथि- 10.07.2008
9. जन्मतिथि- 12 फरवरी, 1978
10. सेवा निवृत्ति की तिथि- 28 फरवरी, 2038

मैं पवन कुमार राय पुत्र रामनगीना राय शासनादेश संख्या-14/2024/ सा-3- 243/ दस-
2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन
पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा
जाये।

हस्ताक्षर

नाम- पवन कुमार राय

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय संख्या-1,बागपत।

घोषणा पत्र

मैं, पवन कुमार राय पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-1,
बागपत यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही
है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं पाया है।

हस्ताक्षर

नाम- पवन कुमार राय

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय संख्या-1,बागपत।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री पवन कुमार राय पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-1, बागपत
को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना () नवीन पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने
हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति